पत्रांक–योजना बजट–63/2015 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......./07/2016

विषय :– पूर्णियाँ स्थित ध्रुव उद्यान के विकास हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹246.39 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख उनचालीस हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न कार्य योजना के अनुरूप पूर्णियाँ स्थित ध्रुव उद्यान के विकास हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹246.39 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख उनचालीस हजार ₹ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ध्रुव उद्यान विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत योजना के अतिरिक्त कार्यों यथा ध्रुव उद्यान में पाथ–वे, पार्किंग एवं प्रवेश द्वार, छत्री, प्रसाधन, योगा प्लेटफार्म, तालाब की मरम्मति, बच्चों के खेल स्थान का घेरान, जलापूर्ति, बिजली कार्य, वयस्कों तथा बच्चों के लिए खुला जीम एवं अन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–01 05–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–पी2406018000105 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी, 27 01–लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–0103–पथ तट फार्म, विपत्र कोड–पी2406017890103 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी के अन्तर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ–06/टि० पर दिनांक–11.07.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृति तथा प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–07/टि० पर दिनांक–12.07.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–3909, दिनांक–08.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

**अनुलग्नक – यथोक्त।**

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

**ज्ञापांक–योजना बजट–63/2015 4031 /प०व० पटना–15, दिनांक–14/07/2016**

**प्रतिलिपि :–** (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jha 14/7/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट – 1 (71

पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ध्रुव उद्यान के विकास हेतु प्राक्कलन का सारांश

PHASE - I WORKS

| क्रमांक | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि |
|---|---|---|
| I | PATHWAYS (पथ वे) | 4323790.00 |
| II | PARKING AND ENT. AREA (पार्किंग एवं प्रवेश स्थल) | 1748615.00 |
| III | TOILET BLOCK (प्रसाधन) | 1040308.00 |
| IV | CHATRI and gazebo (छतरी) | 494827.00 |
| V | YOGA PLATFORM AND GROUND (योगा प्लेटफार्म) | 677563.00 |
| VI | POND SHAPPING AND REPAIR WORKS (तालाब मरम्मति) | 206136.00 |
| VII | FENCING CHILDREN PLAY AREA (बच्चों के खेल स्थान का घेरान) | 337072.00 |
| VIII | LANDSCAPING WORK (लेंडस्केपिंग कार्य) | 4813982.00 |
| IX | WATER SUPPLY (जल आपूर्ति) | 4474335.00 |
| X | ELECTRICLE WORKS (बिजली कार्य) | 1932351.00 |
| XI | OUT HOUSE AND STORE (आऊट हाउस एवं स्टोर) | 1190236.00 |
| XII | OPEN GYM. FOR ADULTS (व्यस्क के लिए खुला जीम) अनुमति | 1700000.00 |
| XIII | PLAY AND GYM.EQUIP. FOR CHILDREN (बच्चों के लिए खुला जीम एवं खेल सामग्री) अनुमति | 1700000.00 |
| | कुल योग :– | 24639215.00 |
| | या | 24639000.00 |
| | राशि (दो करोड़ छियालीस लाख उनचालिस हजार) रूपये मात्र। | |

समर्पित

ह०

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ

05/07/16
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

प्रतिहस्ताक्षरित
08/07/16
वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ

Technical approval accorded for Rs 246.39 lakh (Rs Two crores Forty six lakh thirty nine thousand) only on the basis of T.A. accorded by D.F.O. Purnea.

8.7.16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

उपसचिव